न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 57/20 GCMS NO 2020/00107

उदयसिह पुत्र भौरूसिह उर्फ भूरसिह जाति राजपूत निवासी गोठरा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भंवरसिह पुत्र राजसिह
2. प्रताप सिह पुत्र राजसिह जातियान राजपूत निवासीयान गैस गौदाम के पास नदी बरखेडा तहसील व जिला करौली
3. भैरोलाल
4. प्यारेलाल पुत्रान मोहन लाल जातियान माली निवासीयान गैस गौदाम के पास नदी बरखेडा तहसील व जिला करौली
5. रामेश्वर पुत्र भैरोलाल जाति माली निवासी गैस गौदाम के पास नदी बरखेडा तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 45/15 निर्णय दिनांक 14.10.20 न्यायालय उपजिला कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री गजानन्द शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 1 व 2 की और से श्री विष्णु चंद बंसल

रेस्पो0 संख्या 3 ता 5 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 29.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.10.20 न्यायालय उपजिला कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायल ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायल व गेरसायल न0 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के व्यक्ति है। सायल के पिता व गैरसायल न0 1 व 2 के परपितागह भौरू बल्द दुर्जनसिह राजपूत को माफी की खुद काश्त भूमि रियासत काल से कस्बा करौली के अन्दर स्थित है। जो पुश्तैनी है। जिसके हम संयुक्त खातेदार है। जिसमे सायल का 1/2 हिस्सा गैर सायल न0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। जिसके ख0न0 6649,6666,6674,6782 ,6683, 6684 ,6697, 6757 ,6760, 6764, 6765, 6766 ,[illegible] 6780, 6781,6787, 6788 कुल किता 17 कुल रकबा 23 बीघा 3 विस्वा एवं ख0न0 66[illegible]/1 [illegible] 13 विस्वा है। यह भूमि उबड खाबड नदी नालो की शक्ल [illegible] है [illegible] जो पूर्व के ख0न0 5157,1594,5139,5144,5150,5151,5252,5154,5153,5198,5197,5292,5199,5200,5204,5[illegible] जो जागीर की भूमि है। सायल के पिता भौरूसिह के मरने के [illegible] यह भूमि सायल के [illegible]भाई कल्याण सिह के नाम राजस्व कर्मियो ने बडा होने के नाते के आधार पर दर्ज कर दी। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इसमे सायल का भी बराबर का हिस्सा है। और उस समय सायल के भाई व सायल शामिल रहते थे बडा भाई कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम भूमि कर्मियो की भूल से राजसिह के नाम सम्वत 2027 मे नामा0दर्ज कर दिया और सन 1976 मे यह भूमि भंवरसिह,प्रतापसिह के नाम पर एवं भौरी बाई के नाम दर्ज हो गई चूकि भूमि बंजड एवं उबड खाबड नलो की सूरत मे थी वह सायल को इस नामा0की जानकारी नही हो पाई यह पेपर एन्ट्री सायल के विरूद्व शून्य है। समस्त भूमि सायल के पिता की होने के कारण सायल 1/2 हिस्से का खातेदार है अपने हिस्से की खातेदारी अपने हक मे कराने का अधिकारी है। गैर सायल न0 1 व 2 द्वारा जरिये संरक्षक रतन बाई व भौरी बाई ने उक्त भूमि ख0न0 6667 रकबा 13 विस्वा को गैर सायल 3 ता 5 को विक्रय कर दी गई। यह भूमि सायल की सम्यक होने से गैर सायल को बेचने का अधिकार नही है। विक्रय की गई फर्जकारी की जानकारी सायल का नही होने के कारण सायल द्वारा भूमि का नामा0 अपने नाम खोलने हेतु तहसीलदार करौली के समक्ष उपस्थित होने पर एवं उनके द्वारा सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिए कहा। तब सायल ने नकले आदि प्राप्त की जाकर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया । सायल बुर्जग व्यक्ति है गेर सायल आये दिन सायल के कब्जे काश्त मे दखल करते है। जिसके कारण गैर सायल को पाबन्द कराया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर सायल को पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायल द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राईमाफेसी केस नही मानकर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि सम्वत 2010 से 2013 की गिरदावरी के आधार पर कल्याण सिह का कब्जा माना है जबकि पैतृक सम्पति मे धारा 6 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार खातेदारी व कब्जा संयुक्त परिवार का माना जावेगा एवं जहॉ सम्पति पैतृक है वहॉ समस्त हिस्सेदारो का विधिक कब्जा माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम के प्रावधान भूतलक्षी है। इसलिए सन 1955 मे एक्ट के लागू होने के पूर्व खातेदारो के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। जमाबंदी मे गलत अंकन के आधार पर पिता के नाम के आगे भंवरसिह दर्ज कर दिया गया जबकि विवादित भूमि मे सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट के पिता का नाम भौरू सिह अंकित है बाद मे आगे चलकर राजस्व कर्मचारियो ने कही भौरूसिह कही भंवर सिह दोनो नाम दर्ज कर दिये। अपीलांट द्वारा प्र[illegible]वेजो मे पिता का नाम भौरू सिह अंकित है। उदयसिह के बाप का [illegible] दर्ज किये गये नामा0 गैर कानूनी एवं गलत है। अपीलांट के अधिकारो के [illegible]रीकल मिस्टेक के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किसी व्यक्ति के अधिकार समाप्त नही हो जाते है। उदयसिह व इनके पिता पूर्व मे दीवानपुरा मे रहते थे बाद मे भौरूसिह की मृत्यु के बाद गोठरा मे आकर रहने लगे और कल्याण सिह बाद मे करौली का गया। निवासी बदलने से व्यक्ति व उसके परिवार संबंध व सम्पति अधिकार नही बदलते है। केवल निवास स्थान परिवर्तन के आधार पर अकेला कल्याण सिह विवादित जायदाद का खातेदार नही हो सकता है। अपीलांट द्वारा बंटवारे के दावे के साथ पजेशन का दावा भी किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अधिनस्थ न्यायालय ने गैरसायल 1 व 2 के पितामह कल्याण सिह का भाई होना नही मानकर विधि विपरीत फाईडिंग दी है। विधि का प्रावधान है कि टी आई के निर्णय मे न्यायालय ऐसा कोई तथ्य मैरिट पर दर्ज नही करेगा जिससे दावे के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पडे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टी आई मे दावे को निस्तारित करने का प्रमाण किया गया है। जबकि विधि के प्रावधानो के अनुसार नही किया जाना चाहिए। अपीलांट ने प्राईमाफेसी केस के लिए अपने पिता के समय की प्रमाणित जमाबंदिया प्रस्तुत की है एवं सरपंच व जागा का प्रमाण पत्र तथा बयानो के लिए कल्याण सिह एवं अपीलांट की बहन का भी शपथ पत्र पेश किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। विवादित आराजीयात को दौराने दावा विक्रय किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस प्रकार अपीलांट रेस्पो0 को विवादित भूमि को रहन बय नही करने हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात को रहन बय नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि कल्याण सिह भौरूसिह का पुत्र है। कल्याण सिह के पिता का नाम भूरसिह है। भौरूसिह नामक व्यक्ति कल्याण सिह के पिता नही है। कल्याण सिह का पुत्र राजसिह एवं राजसिह के पुत्र भौरूसिह व प्रतापसिह है। उदयसिह, उम्मेदसिह कल्याण सिह के सगे भाई नही है बल्कि उदयसिह ,उम्मेदसिह,भवंरसिह, दुर्जनसिह के पुत्र है। जो ग्राम गोठरा की डोगरी तहसील सपोटरा के निवासी है। अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं कल्याण सिह पुत्र भूरसिह के परिवार के सदस्य या कुटुम्बी नही है। विवादित आराजीयात भौरूसिह बल्द दुर्जनसिह की माफी की खुदकाश्त भूमि रियासतकाल मे नही रही है। बल्कि उक्त आराजी सम्वत 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी मे दर्ज है एवं जागीर पुर्नग्रहण एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत धारा 15 व 19 आर टी एक्ट के तहत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पितामह कल्याण सिह के खुद काश्त की खातेदारी रही है और आरजी के खातेदारी इन्द्राज सम्वत 2015 मे विधिवत कलयाण सिह के हक मे बतौर खातेदार खुदकाश्त काबिज काश्त रहा है। रिजक्शन एक्ट की धारा 21 ता 23 के तहत उक्त आराजी जागीरदार कल्याण सिह की खुद काश्त भूमि थी इसलिए उक्त आराजी कल्याण सिह के खातेदारी मे [illegible] और सम्वत 2010 से आज तक उक्त आराजीयात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पितामह कल्याण सिह पुत्र भूरसिह व उनके मरने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार [illegible] विवादित आराजीयात मे अपीलांट का कोई हिस्सा आज तक नही रहा है। कल्याणसिह के मरने के बाद रेस्पो0 संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:41:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

व 2 के पिता राजसिह के नाम विधिवत विरासत नामा0 से खातेदारी दर्ज हुई है। और राजसिह के मरने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा रतनबाई व भौरीबाई के हक मे विधिवत खातेदारी दर्ज हुई है। जो वैध है। जिसे अपीलांट द्वारा आज तक चेलेन्ज नही किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाबालिंग होने के कारण रूपये पैसो की जरूरत होने के कारण ही खातेदार रतनबाई व भौरीबाई ने रेस्पो0 संख्या 4 व 5 को विधिवत विक्रय किया है। जो विक्रय पत्र बैध है। अपीलांट ने फर्जी तरीके से तहसीलदार करौली के यहाँ रेस्पो0 भंवरसिह उर्फ विरेन्द्र सिह को अपना पिता बताकर और भंवरसिह का एकमात्र इकलौता पुत्र बताते हुए भूमि को हडपने की बदनियती से प्रस्तुत किया था जिससे काययाबी नही मिलने के बाद अपीलांट ने दावा पुनः भौरू का पुत्र बताकर पेश किया है। अपीलांट को कोई अपूर्णनीय क्षति नही है। अपीलांट फर्जी तरीके से भूमाफियाओ से मिलकर विवादित आराजीयात को हडपने की नियत से दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। यदि कल्याण सिह भौरू का पुत्र होता तो अवश्य ही गोठरा की भूमि मे जो विरासत का नामा0 हुआ उसमे नाम होता या कल्याण सिह के मरने के बाद उसकी पत्नि भौरीबाई व पुत्र राजसिह व पुत्री सुशीला व रूपन्ती का नाम विरासत मे दर्ज होता। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त पारित किया है। जो विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात सम्वत 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी मे कल्याण सिह बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त गिरदावरी से कल्याण सिह का कब्जा सिद्व होता है। अपीलांट द्वारा दिनांक 6.6.14 को भंवरसिह पुत्र दुर्जनसिह उर्फ राजसिह का वारिस बताते हुए एवं भंवरसिह का अपने को इकलौता पुत्र मानते हुए भूमि का विरासत का नामा0 रेस्पो0 भंवरसिह उर्फ विरेन्द्रसिह के स्थान पर उसके जिवित रहते हुए तहसीलदार के प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा बांद जॉच अपीलांट/सायल को भंवरसिह का वारिस नही माना है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का पितामह कल्याण सिह पुत्र भूरसिह अपीलांट का भाई था। खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 से आराजीयात पर कब्जा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पितामह कल्याण सिह का सिद्व है। इस प्रकार अपीलांट को कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नही होने एवं असुविधा होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय उपजिला कलक्टर, करौली के मु0नं0 45/15 निर्णय दिनांक 14.10.20 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखाया जाकर इजलास मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:27 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर